सीधी के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर होगा

▸ 1641 .52 करोड़ लागत की परियोजना ले रही आकार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 अप्रैल. राज्य सरकार द्वारा पेयजल उपलब्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने का आधार स्वच्छ और पर्याप्त जल आपूर्ति है, इसी सोच के साथ ऐसी योजनाओं को गति दी जा रही है.

सीधी जिले में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से एक व्यापक और दीर्घकालिक पहल के रूप में सीधी बाणसागर समूह जल प्रदाय योजना पर तेजी से

कार्य किया जा रहा है. सीधी के ग्रामीण क्षेत्रों में 1641.52 करोड़ की लागत से स्वीकृत यह परियोजना क्षेत्रों में पेयजल संकट को स्थायी रूप से दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने बताया कि यह परियोजना केवल पेयजल आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन में स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक-आर्थिक सुधार का माध्यम भी बनेगी. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि किसी भी गांव में पेयजल की समस्या न रहे और हर घर में नल से जल उपलब्ध हो.

योजना के माध्यम से जिले की 9 लाख 67 हजार 119 की आबादी को लाभ मिलेगा, जिसमें 97 हजार 763 परिवार शामिल हैं. योजना के तहत रामपुर नैकिन विकासखण्ड के 185 ग्राम, सीधी विकासखंड के 193 ग्राम और सिहावल विकासखंड के 299 ग्राम को जोड़ा गया है, इस प्रकार कुल 677 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. योजना में बाणसागर जलाशय से जल लेकर 125 एमएलडी क्षमता का इंटेक वेल तथा 3500 मीटर लंबी रॉ वॉटर पंपिंग मेन के माध्यम से जल संग्रह किया जाएगा. इसके बाद 100 एमएलडी क्षमता के आधुनिक जल शोधन संयंत्र में जल का शुद्धिकरण कर 25 हजार 340 मीटर लंबी क्लीयर वॉटर पंपिंग मेन के जरिए विभिन्न जल संरचनाओं तक पहुंचाया जाएगा. इसके तहत एक पी.एम.बी.आर. और 12 एम.बी.आर. का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही 1356.233 किलोमीटर लंबी ग्रेविटी मेन और 3172.350 किलोमीटर लंबी जल वितरण नलिकाओं का विस्तृत नेटवर्क विकसित किया जाएगा.

विधेयक को मिली राज्यपाल की मंजूरी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 अप्रैल. मप्र विधानसभा ने मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को बीते 27 फरवरी को विधानसभा में पारित किया गया था. इस विधेयक को सदन में पारित करने के बाद राज्यपाल को मंजूरी के लिए भेजा गया था. अब राज्यपाल ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी है. इसी के साथ ये विधेयक अब अधिनियम के रूप में प्रदेश में प्रभावी हो गया है.

मकान सूचीकरण एवं गणना का प्रशिक्षण का आयोजन

भोपाल, 16 अप्रैल. जनगणना के अंतर्गत प्रथम चरण में मकान सूचीकरण व मकानों की गणना कार्य एक मई से शुरू किया जाना है. इसके लिए नगर निगम के जोनल कार्यालयों में गुरुवार को फील्ड ट्रेनर्स ने प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया.

नगर निगम के जोन क्रमांक 1 से 21 तक नियुक्त प्रगणकों/पर्यवेक्षकों को फील्ड ट्रेनर्स ने एचएलओ एप के संबंध में जानकारी दी. सीएमएमएस पोर्टल पर डाटा एंट्री की विधि एवं जनगणना ब्लॉक सीमा के भीतर प्रत्येक जनगणना परिवार की गणना किए जाने हेतु विस्तृत जानकारी दी.

सुपर-100 प्रवेश परीक्षा के परिणाम की घोषणा

▸ ओपन स्कूल की वेबसाइट पर विद्यार्थी देख सकते हैं रिजल्ट

भोपाल, 16 अप्रैल. मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सुपर-100 प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. विद्यार्थी परीक्षा परिणाम ओपन स्कूल की वेबसाइट mpsos.nic.in पर देख सकते हैं.

मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सुपर-100 प्रवेश परीक्षा का 22 मार्च 2026 को आयोजन किया गया था. परीक्षा में प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी ही हिस्सा ले सकते हैं. परीक्षा के आधार पर चयनित बच्चों को प्रदेश के दो विद्यालयों शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल एवं शासकीय मल्हार आश्रम उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंदौर में कक्षा 11वीं में प्रवेश दिया जाता है.

जहां पर विद्यार्थी अपनी नियमित पढ़ाई के साथ-साथ जेईई और नीट कोचिंग की कोचिंग करते हैं, जो ख्याति प्राप्त चयनित संस्थानों के द्वारा दी जाती है. दोनों संस्थाओं में जेईई और नीट के लिए 76-76 सीटें उपलब्ध होती है. इस वर्ष जेईई में 5152 एवं नीट परीक्षा के लिए 5011 विद्यार्थियों ने अपने आवेदन फार्म जमा किये थे.

पति को हेलमेट खरीद कर दें महिलाएं

▸ बैरसिया की एसडीओपी ने महिलाओं से संवाद में कहा

बैरसिया, 16 अप्रैल. एसडीओपी वैशाली कराहलिया एवं थाना प्रभारी वीरेंद्र सेन ने नगर में बढ़ते अपराधों से महिलाओ की सुरक्षा के लिए शहर के वार्ड-मोहल्लों में नागरिक एवं महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना. उन्होंने स्वयं को सतर्क रहने के कुछ टिप्स दिए.

थाना प्रभारी वीरेंद्र सेन ने बताया कि अपराध, एक्सीडेंट और चोरी का मुख्य कारण इंसान स्वयं होता है. समय पर सतर्क रहना चाहिए. बच्चों को ट्रैफिक नियम के हिसाब से वाहन देना चाहिए. हेलमेट पहनना चाहिए. अगर शहर में अजनबी व्यक्ति दिखे तो पुलिस को सूचना करना चाहिए. एसडीओपी वैशाली कराहलिया ने महिलाओं से संवाद किया. उन्होंने कहा कि आप सभी अपने-अपने पतिदेवों से हेलमेट पहनने का आग्रह करें, अपनी बचत राशि में से हेलमेट खरीद कर उनको देना चाहिए, यह आपकी जवाबदारी है. महिलाएं जागरूक होगी तो आने वाले भविष्य में बच्चे भी जागरूक होंगे. बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए. अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें. महिला अपराधों की रोकथाम हेतु उन्होंने अपना मोवाइल नंबर भी दिया. उन्होंने कहा कि संवाद का यह अभियान लगातार चलता रहेगा. अभियान की शुरुआत शीतल नगर कॉलोनी से की गई. संचालन विवेक उपाध्याय ने किया.

मंत्री परमार ने पुस्तिका का किया विमोचन

भोपाल. उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय पर गुरुवार को शासकीय श्यामाप्रसाद मुखर्जी विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल में आयोजित 'क्लाइमेट चेंज एंड बायोडायवर्सिटी' विषयक राष्ट्रीय वेबीनार पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया. इस अवसर पर मप्र हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक अशोक कड़ेल, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के अध्यक्ष डॉ. रविंद्र कान्हेरे, प्राचार्य डॉ. शालिनी सक्सेना, वनस्पति शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. कीर्ति जैन उपस्थित थीं.

नगर निगम के अमले ने कई इलाकों में हटाया अतिक्रमण, सामान जब्त

भोपाल. नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के दलों ने गुरुवार को मिसरोद, 11 मील, कटारा अटलांस, कटारा स्प्रींग वेली, कटारा अमलतास चौराहा, भारत माता चौराहा से नीलबड, कोलार तिराहा, 11 नंबर, शाहपुरा, न्यू मार्केट, जीटीबी काम्पलेक्स, मालवीय नगर समेत कई इलाकों में अतिक्रमण हटाए. अमले ने एक अवैध बाउंड्रीवाल तोड़ी. इसके अलावा फुटपाथ से सब्जी, हेलमेट, कपड़े की दुकान, लोडिंग वाहन, दुकानों का बाहर रखा सामान जब्त किया.

नाम परिवर्तन

मैं प्रमोद पंडित आ. श्री शत्रुघन पंडित निवासी 72 आदर्श नगर बाग मुगालिया हुजूर भोपाल सूचित करता हूं कि मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में उसकी माता का नाम SIYA PRAJAPATI एवं पुत्री का नाम SHIVYA PRAJAPATI अंकित हो गया है जो कि गलत है. उसकी माता का नाम SIYA PANDIT व पुत्री का नाम SHIVYA PANDIT है. भविष्य में इसी नाम से जाना पहचाना जाये. यही नाम अंकित किया जाए.

CHANGE OF NAME

My old name Nikhat D/o Sami Khan I have changed my name my new name is Nikhat Parveen W/o Syed Zahid Ali I will be known by my new name Nikhat Parveen
ADDRESS- H.No. 65, Lala Lajpat Rai Colony, Bagh Dilkusha. Bhopal (MP)

M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(Government of Madhya Pradesh Undertaking)
SECRETARIAT FOR SINGLE WINDOW SYSTEM
CIN : U51102MP1977SGC001392
21, Arera Hills, Bhopal-462011 M.P. (India)
Tel. : (91)755-2571830, 2575618, 3523555, 3523505
E-mail : helpdesk@mpidc.co.in, Web. : www.invest.mp.gov.in
MPIDC/CE/Tech-RFP/2026/260 Date : 16.04.2026

NOTICE INVITING TENDER

Madhya Pradesh Industrial development Corporation Ltd. (MPIDC Ltd.) invites online percentage rate bids for the following work from registered contractors and firms for the following work:

NIT No	Name of Work	District	Probable Amount of Contract (in Rs. Cr.)
260	Development of Industrial Area Satgarhi, district Bhopal	Bhopal	69.70

The Tender documents can be downloaded from the e-procurement Portal- **https://mptenders.gov.in**- MPIDC HO shortly.
M.P. Madhyam/125365/2026 **CHIEF ENGINEER**

व्यापारी की डायरी में मिला लाखों के लेनदेन का जिक्र

▸ हत्या के आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 16 अप्रैल. बैरसिया थाना पुलिस किराना व्यापारी मो. हनीफ की हत्या करने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी है. गुरुवार को शॉर्ट पीएम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें किसी रॉड से व्यापारी के सीने के आर-पार होने की पुष्टि हुई है. पुलिस को अभी तक घटना स्थल के पास से कोई ऐसी रॉड बरामद नहीं हुई है.

हत्या के मामले में पुलिस की शुरुआती जांच में लाखों रुपये के लेनदेन को लेकर आशंका जाहिर की जा रही है. पुलिस को रुपये के हिसाब की एक डायरी भी बरामद हुई है, जिसमें कई लोगों के नाम भी लिखे हैं. पुलिस मामले में कुछ संदेहियों से अब तक पूछताछ भी कर चुकी है. पुलिस का अनुमान है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तारी संभव है. किराना व्यापारी मोहम्मद हनीफ की हत्या करने वाले आरोपियों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है. सामने आ रही जानकारी के मुताबिक हनीफ की दुकान से हिसाब की एक डायरी पुलिस को बरामद हुई है, जिसमें लाखों रुपये के लेनदेन का जिक्र है. मृतक के भाई मोहम्मद अनीस ने भी रुपये के लेनदेन को लेकर हत्या की आशंका जाहिर की है. पुलिस ने अब संबंधित डायरी को अपने कब्जे में लिया है. घटना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने से भी पुलिस के सामने आरोपियों की पहचान करना चुनौती बना है.

बताया जा रहा है कि व्यापारी मोहम्मद हनीफ को बुधवार को एक फोन आया था. वह घर से कुछ देर में वापस आने की बात कहकर निकले थे. इस दौरान शाम के समय उनकी हत्या की जानकारी परिजनों को लगी. लोगों की सूचना में घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी. हनीफ की हत्या करने वाले आरोपियों की पहचान करने में पुलिस जुटी है.

इनका कहना है

मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है. पूरे मामले की जांच जारी है.
वीरेन्द्र सेन, थाना प्रभारी, बैरसिया

निगम अमले ने जल के 134 नमूने लिए

भोपाल, 16 अप्रैल. नगर निगम के दलों ने शहर की झुग्गी बस्तियों सहित संपूर्ण शहर में कुल जल के 134 नमूने लिए. पानी की गंध, रंग, स्वाद, टरबीडिटी व बैक्टेरिया आदि की जांच 8 परीक्षण शालाओं के माध्यम से कराई जाएगी. निगम अमले ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 55 स्थानों पर पाइप लाइनों के लीकेज भी सुधारे. निगम अमले ने अभी तक झुग्गी बस्ती क्षेत्रों के 7741 स्थानों सहित शहर में कुल 16830 जल के नमूने लेकर जल की गुणवत्ता की जांच कराई है.

नाम परिवर्तन

मैं लक्ष्मी शर्मा पत्नी श्री गोविंद नारायण शर्मा, निवासी- 45, मथई नगर, बैरागढ़, भोपाल, घोषित करती हूँ कि मेरे पति के सैन्य पेंशन दस्तावेजों में मेरा नाम 'लक्ष्मी देवी' अंकित है, जबकि मेरे अन्य सभी शासकीय दस्तावेजों (आधार, पैन कार्ड) में 'लक्ष्मी शर्मा' दर्ज है. ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं. भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लक्ष्मी शर्मा से ही जाना व पहचाना जाए.

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार यशवर्धन सिंह परिहार आत्मज श्री मनोज सिंह परिहार निवासी बी 6, रिंघ गार्डन, मित्तल कालेज के पास करोंद बायपास भोपाल मध्य प्रदेश 462038 के पिता जो कि मनोज सिंह परिहार आत्मज श्री सूर्यपाल सिंह परिहार (निवासी बी 6, रिंघ गार्डन, मित्तल कालेज के पास करोंद बायपास भोपाल मध्य प्रदेश 462038) वर्तमान में अपनी नशे की लत के कारण नशा मुक्ति केंद्र भोपाल (De-addiction Center) में उपचाराधीन हैं.

चूँकि उक्त व्यक्ति की मानसिक और निर्णय लेने की स्थिति वर्तमान में स्थिर नहीं है, अतः इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से यदि कोई भी व्यक्ति, बैंक, वित्तीय संस्था, साहूकार या अन्य कोई भी संस्था उक्त व्यक्ति (मनोज सिंह परिहार) के साथ किसी भी प्रकार का धन का लेन-देन, आपसी व्यवहार या ऋण (Loan) का व्यवहार करता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं उस व्यक्ति या संस्था की होगी.

मेरे पक्षकार या उनके परिवार का कोई भी सदस्य उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के वित्तीय व्यवहार, कर्ज या देनदारी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा. भविष्य में किसी भी विवाद से बचने हेतु यह सूचना जारी की जा रही है.

लॉयन महेश कुमार साहू (नोटरी एडवोकेट)
साहू लॉ चेम्बर रियल स्टेट कंसलटेंट
कार्यालय : 231, लाहोटी चेम्बर, भूतल जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल
मो. नं. 9827300880,9893086191

जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव

ई-निविदा क्र. ४/२०२६-२७ (फेरनिविदा)

जळगाव शहर व परिसरात ई वसेसच्या दैनंदिन दळणवळणासाठी वाहक पुरविणेकामी पुरवठादार यांची नेमणूक करणेबाबत, जळगाव शहर महानगरपालिका जळगाव यांच्याकडून निविदा मागविण्यात येत असून या कामासंबंधीची सविस्तर तपशील https://mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

दिनांक १५/०४/२०२६

सही/-
आयुक्त, करिता
जळगाव शहर महानगरपालिका,
जळगाव

माचना नदी के पुनरुद्धार के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना बनाएं

जबलपुर, 16 अप्रैल. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने बैतूल की माचना नदी के पुनरुद्धार के लिए दीर्घकालिक कार्य योजना बनाने का आदेश दिया है. वैज्ञानिक व सतत सफाई उपाय अपनाने पर भी जोर दिया है। यह कदम नदी की खराब स्थिति की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उठाया गया.

रिपोर्ट के अनुसार लगभग सात लाख लोगों की जीवन रेखा मानी जाने वाली माचना नदी जलकुंभी और अन्य जलीय खरपतवारों से गंभीर रूप से प्रभावित है. कई स्थानों पर नदी का जल दिखाई भी नहीं देता, जिससे जल में आक्सीजन की कमी, मच्छरों का प्रकोप व डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है. पूर्व में मशीनों के माध्यम से सफाई पर भारी खर्च होने के बावजूद समस्या फिर से उत्पन्न हो गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि केवल अस्थायी उपाय पर्याप्त नहीं हैं. अधिकरण ने पूर्व में इसी प्रकार के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार जैविक एवं रासायनिक उपाय प्रभावी या सुरक्षित नहीं हैं.

यांत्रिक सफाई के साथ नियमित रख रखाव ही उपयुक्त समाधान है। इसी आधार पर अधिकरण ने जल संसाधन विभाग, कलेक्टर बैतूल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी बैतूल को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें जलीय खरपत वारों की मैनुअल व तकनीकी सफाई तथा दीर्घकालिक नदी प्रबंधन शामिल है. संबंधित अधिकारियों को छह माह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट एनजीटी रजिस्ट्रार, केंद्रीय क्षेत्र पीठ भोपाल को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रेमी और उसके परिजनों ने प्रेमिका को पीटा

▸ आरोपियों पर केस दर्ज

भोपाल, 16 अप्रैल. मिसरोद इलाके में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को दूसरे युवक के साथ होटल में मिलने पर मारपीट कर दी. आरोप है कि गुस्साए प्रेमी और उसके परिजनों ने प्रेमिका को अपने घर पर बंधक भी बनाया.

पुलिस के मुताबिक अवधपुरी इलाके में रहने वाली 24 वर्षीय युवती अपने प्रेमी के साथ करीब 10 साल से रिश्ते में रही. कुछ दिन पहले युवती का परिचय दूसरे युवक से हो गया.

बुधवार को दूसरे युवक से मिलने के लिए युवती मिसरोद इलाके में एक होटल में मिलने के लिए पहुंची. इसकी जानकारी युवती के प्रेमी को हो गई. आरोप है कि युवती का प्रेमी अपने परिवार के लोगों के साथ उस होटल पर पहुंचा और दोनों के साथ जमकर मारपीट कर दी. युवती ने पुलिस को बताया कि उसके प्रेमी ने होटल में मारपीट के बाद उसे जबरन कार में भी बैठाया. आरोपी प्रेमी इसके बाद उसे अपने साथ अपने घर बरखेड़ा पठानी ले गया और वहां भी युवती से मारपीट की. युवती को उसके प्रेमी ने इसके बाद छोड़ दिया.

डैम में मिला युवक का शव

भोपाल. हथाईखेड़ा डैम में एक युवक का शव पानी में तैरता मिला. पिपलानी थाना पुलिस ने शव की पहचान करते हुए परिजनों को सूचित किया. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय युवक संजय अयोध्या नगर का रहवासी था. तीन दिन पहले संजय के घर नहीं आने पर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइल हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियल कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया.... रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री रामपाल, श्री रघुराज सिंह, श्रीमती उदय कुमारी, (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10506129)	पटवारी हल्का संख्या 73, खसरा संख्या 47/1, क्षेत्रफल 1471 वर्ग फुट ग्राम पिटाखेड़ी, ग्राम पंचायत खैजारा, तहसील एवं जिला गुना, मध्य प्रदेश, 473249, भारत. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल: 1471.00, 600.00, 480.00	रुपये 317241/- (रु. तीन लाख सत्रह हजार दो सौ इकतालीस मात्र)	17-10-2025	13-04-2026
श्री ब्रजेश, श्रीमती मनीषा राजपूत ब्रजेश राजपूत (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10450755)	खसरा संख्या 74, पटवारी हल्का संख्या 40, ग्राम-मुहासा, तहसील और जिला-गुना, मध्य प्रदेश, भारत, पिन संख्या 473110 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 750.00, 300.00, 375.00	रुपये 305097/- (रु. तीन लाख पांच हजार सन्तानवे मात्र)	10-06-2025	13-04-2026
श्री दाताराम विश्वकर्मा, श्री कंछेदी विश्वकर्मा, श्रीमती सुमन बाई कारपेंटर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10511374)	खसरा संख्या 121, पटवारी हल्का संख्या 28, क्षेत्रफल 1194 वर्ग फुट, ग्राम-लखार, तहसील- बीना, जिला- सागर, मध्य प्रदेश, पिन संख्या 470113. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल, निर्मित_क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 1194.00, 880.00, 1100.00	रुपये 278228/- (रु. दो लाख अट्ठहत्तर हजार दो सौ अट्ठाइस मात्र)	25-09-2025	13-04-2026
श्रीमती कमला राय, श्री सुरेंद्र राय, अनूप ऑटो गैरेज (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10514406)	पीएच नंबर 04, खसरा नं. 1232, क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट, ग्राम बरयाथा, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश 470339 में स्थित. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति प्रकार: क्षेत्रफल संपत्ति का क्षेत्रफल: 900	रुपये 231589/- (रु. दो लाख इकतीस हजार पांच सौ नवासी मात्र)	05-01-2026	13-04-2026
श्री रामचरण अहिरवार श्रीमती कांता बाई अहिरवार रामचरण अहिरवार (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10546062)	पीएच 06, खसरा संख्या 452, क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट, भदोरे गांव में स्थित, आरोन, गुना, मध्य प्रदेश 473287 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 1500 वर्ग फुट	रुपये 321445/- (रु. तीन लाख इक्कीस हजार चार सौ पैंतालीस मात्र)	05-01-2026	13-04-2026
श्री प्रमोद, श्री मुकेश श्रीमती द्रोपती, श्रीमती मायाबाई अहिरवार, टिकेटर ड्रायवर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10574426)	खसरा संख्या 35, पिन नंबर 73, क्षेत्रफल 6684 वर्ग फुट, स्थान ग्राम बिलाखाना, तहसील बीना, जिला सागर, मध्य प्रदेश, भारत, पिन नंबर 470113। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र- 6684.00, 1600.00, 2000.00	रुपये 374663 /- (रु. तीन लाख चौहत्तर हजार छह सौ तिरेसठ मात्र)	06-10-2025	13-04-2026
श्री हेमंत सिंह बुंदेला श्रीमती नीलम बुंदेला लाइव स्टोक (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10578956)	पीएच नं. 08, खसरा संख्या 90, क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट, स्थित ग्राम बथवाहा, शाहगढ़, सागर, मध्य प्रदेश 470330 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 600	रुपये 249730/- (रु. दो लाख उन्नचास हजार सात सौ तीस मात्र)	05-01-2026	13-04-2026
श्री राजेश कुशवाह श्रीमती पिस्ता बाई कुशवाह (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10602471)	मकान संख्या 20, तल संख्या 30, ग्राम सुआखेड़ी, तहसील राघोगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश, भारत, 473226 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, कालीन क्षेत्र संपत्ति का क्षेत्रफल: 1750.00, 563.00, 450.00	रुपये 343240/- (रु. तीन लाख तिरतालीस हजार दो सौ चालीस मात्र)	13-06-2025	13-04-2026
श्री नीरज खरे, श्री मान सिंह जाटव, श्रीमती शीला बाई जाटव, अनिका कंप्यूटर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10617859)	पीएच नं. 04, वार्ड संख्या 24, क्षेत्रफल 1200 वर्ग फुट, स्थित ग्राम गोरद बाबा गली, श्रीराम कॉलोनी, गुना, मध्य प्रदेश 473001 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति प्रकार- भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र: 1200	रुपये 324812/- (रु. तीन लाख चौबीस हजार आठ सौ बारह मात्र)	04-12-2025	13-04-2026
श्री गुलाब सिंह श्रीमती तुलसा कंवर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10634533)	पटवारी हल्का नं. 10, खसरा नं. 51, ग्राम में स्थित दावतपुरा, ग्राम पंचायत दावतपुरा, तहसील राघोगढ़, जिला गुना, मध्य प्रदेश-473110, भारत. क्षेत्रफल वर्ग फुट में: संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल: 1500.00, 662.00, 529.00	रुपये 369469/- (रु. तीन लाख उनहत्तर हजार चार सौ उनहत्तर मात्र)	23-06-2025	13-04-2026
श्री अर्जुन रघुवंशी, श्री विश्ववीर सिंह, गुड्डी बाई, श्रीमती हेमलता रघुवंशी, अर्जुन रघुवंशी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10651607)	संपत्ति में खसरा नंबर 345, क्षेत्रफल 1500 शामिल है वर्ग फुट, छापर, अशोक नगर, मध्य प्रदेश में स्थित है 473330 क्षेत्रफल का माप (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल_मापन संपत्ति क्षेत्रफल: 1500	रुपये 410989/- (रु. चार लाख दस हजार नौ सौ नवासी मात्र)	05-01-2026	13-04-2026
श्री हल्के, श्रीमती ममता यादव एग्रीकल्चर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10741962)	578, ग्राम दत्या पोस्ट बरायथा, तहसील शाहगढ़ जिला सागर, पिन कोड 470335, शाहगढ़ मंदिर सागर, मध्य प्रदेश, भारत, 470339 क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल संपत्ति क्षेत्रफल: 495.00, 450.00	रुपये 196763/- (रु. एक लाख छियानवे हजार सात सौ तिरेसठ मात्र)	09-01-2026	13-04-2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी **ब्रांच आफिस:** 249, द इनफिनिटी, प्रथम तल, एम.पी. नगर, जोन-2, तुलसी होटल के पास, भोपाल-462011/आईडीबीआई बैंक के ऊपर, मंडीदीप, मेन रोड-462046/ प्रथम तल, होटल सूर्या के ऊपर, प्लेटफार्म नं. 1 के पास, रेलवे स्टेशन, विदिशा-464001 या **कार्पोरेट ऑफिस**- प्लॉट नं. 98, फेस-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- भोपाल, दिनांक- 17-4-2026 **प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मैकेनिकल खंड

अशोक विहार, लहारपुर डेम के समीप, बाग मुंगालिया, भोपाल
फैक्स और फोन नं.- 0755-2930001, ई-मेल आई.डी.- emphbpl@mp.nic.in
क्रमांक 479/तक/का.यं./लो.स्वा./मैके. खंड/भोपाल/2026 दिनांक 13/4/2026

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 04/2026-27 दिनांक 13/4/2026 ऑनलाइन निविदा क्रमांक 2026_PHED_499970_1 दिनांक 13/4/2026

कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग मैकेनिकल खंड भोपाल के अंतर्गत मैकेनिकल उपखंड राजगढ़ की के.एल.आर. 09 विभागीय रिंग मशीन में विशेष सुधार कार्य हेतु ऑनलाइन डिजिटली हस्ताक्षरित निविदा दिनांक 28/4/2026 सायं 17.00 बजे तक प्रतिष्ठित फर्म, जिन्हें इस प्रकार के कार्य का अनुभव प्राप्त हो, से एपेंडिक्स 2.10 पर आमंत्रित की जाती है. निविदा हेतु अभिलेखों जैसे प्रतिभूति राशि की पावती, मूल निर्माता/ अधिकृत विक्रेता के पंजीयन का प्रमाण पत्र/ अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि (निविदा अनुसार) निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन जमा करना होगा. निविदा दिनांक 29/4/2026 को सायं 17.15 बजे ऑनलाइन खोली जावेगी. कार्य की अनुमानित लागत रुपए 69,700/- (रुपए उनहत्तर हजार सात सौ मात्र) है तथा प्रतिभूति राशि रुपए 1,394/- (रु. एक हजार तीन सौ चौरानवे) मात्र है. निविदा प्रपत्र (टेंडर डॉक्यूमेंट्स) राशि रुपए 1000/- ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर ऑनलाइन क्रय किए जा सकते हैं. परिशिष्ट/ संशोधन केवल वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा.

निविदा का विवरण निम्नानुसार है :-

टेंडर के प्राक्कलन की अनुमानित लागत राशि (रु.)	धरोहर राशि (रु.)	टेंडर का मूल्य (रु.)	टेंडर बिक्री की तिथि	टेंडर ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	टेंडर खुलने की तिथि
69,700.00	1394.00	1000.00	15/4/2026 से 28/4/2026 के 17.00 बजे तक	28/4/2026 के 17.00 बजे तक	29/4/2026 के 17.15 बजे तक

निविदा से संबंधित अन्य समस्त शर्तें एवं विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर ऑनलाइन निविदा क्रमांक 2026_PHED_499970_1 दिनांक 13/4/2026 पर उपलब्ध है.

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वा.यां.वि.मैके. खंड, भोपाल
G11611/26

THE MADHYA PRADESH STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

"Panchanan" 3rd Floor, Malaviya Nagar, Bhopal
Phone : 0755-2551652, 2551756, 2761392, Fax : 0755-2557305
HO : MKTG/TANKER/2026-27/182 Dated : 16.04.2026

E-RCO NOTICE

Online RCO are invited for supply of FOR SUPPLY OF WATER TANKER MOUNTED ON TWO WHEEL TRACTOR TRAILER FOR THE YEAR 2026-27. Manufacturer of these items may participate in the RCO on the basis of Eligibility Criteria mentioned in the documents.
RCO documents can be purchased by paying RCO fee Rs. 11000 + 1980 (18% GST) = 12980 (Twelve Thousand Nine Hundred Eighty Rs Only) each online up to following date :-

S.N.	Name of Item	Last Date to Submit	EMD
01.	For Supply of Water Tanker Mounted on Two Wheel Tractor Trailer	07.05.2026	2,00,000/-

1. **MSME & STARTUP Entrepreneurs of Madhya Pradesh are Exempted for EMD. But the Successful Bidder Must have to Submit Rs. 200000/- as a Security Deposit at the time of Agreement with Corporation.**
2. **MSME and STARTUP Belongs Out of Madhya Pradesh Must have to Deposit Rs. 200000/- as Earnest Money Deposit Otherwise Their Offer will be Reject.**

The detailed RCO and other information can be seen at Corporation's website **www.mpagro.org** and **www.mptender.gov.in.** Amendments, if any, will be published only on above websites. No further notification will be made in the newspapers.
M.P. Madhyam/125369/2026 **MANAGER (MKTG.)**